

डिक्री व मुकदमें इबाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जाना बनाम लेखराम

दावा बाबत :- 53, 88 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 02.08.2008

पेश करने की दिनांक - 28.09.20

(रिमाण्ड)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्ई नितेश यादव अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम बुबानिया के हाल खसरा नम्बर 1829/0.42, 1830/0.31 व 2664/0.53 का खातेदार राम सिंह पुत्र काना 1/2 हि., हरि सिंह पुत्र काना 1/2 हि., खसरा नम्बर 1839/0.50, 1840/0.73 व 1894/0.55 का खातेदार लेखराम पुत्र मूला, खसरा नम्बर 1844/0.04, 1848/0.09, 1849/0.07, 1850/0.07, 1859/0.22, 1861/0.26 व 2581/0.13 का खातेदार राम सिंह पुत्र काना 1/2 हि., हरि सिंह पुत्र काना 1/2 हि., खसरा नम्बर 2585/0.63 व 2586/0.18 का खातेदार लेखराम पुत्र मूला 2/3 हि., भाविका पुत्री महेन्द्र 1/24 हि., मधुबाला पत्नी महेन्द्र 1/24 हि., मैना देवी पुत्री हनुमान 1/12 हि., राजेन्द्र पि. हनुमान 1/12 हि., सुरेन्द्र पि. हनुमान 1/12 हि. को घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 10 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद